

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276756
SG-DL-E-03102026-276756असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]	दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 3, 2026/आश्विन 11, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 242
No. 299]	DELHI, SATURDAY, OCTOBER 3, 2026/ASVINA 11, 1948	[N. C. T. D. No. 242

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2026

दिल्ली परिवहन निगम (निःशुल्क और रियायती पास) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. Tr/PinkPass/1033/E-File:389756/42434.— दिल्ली सड़क परिवहन कानून (संशोधन) अधिनियम, 1971 के साथ पठित दिल्ली परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली परिवहन निगम, उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा दिल्ली परिवहन निगम (निःशुल्क तथा रियायती पास) विनियम, 1985, (संशोधन, 2019) में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:-

(1) इन विनियमों को दिल्ली परिवहन निगम (निःशुल्क और रियायती पास) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. विनियम 3 में संशोधन:-दिल्ली परिवहन निगम (निःशुल्क तथा रियायती पास) विनियम, 1985 के (संशोधन, 2019) विनियम 3 के खंड (vii) को निरस्त किया जाता है और खंड (viii) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ix) दिल्ली की निवासी महिला यात्री दिल्ली परिवहन निगम एवं क्लस्टर बसों (एसी तथा नॉन-एसी दोनों) में केवल पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड (एनसीएमसी) के उपयोग पर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यद्यपि, उनके पास यात्रा के लिए देय किराए पर टिकट खरीदने का विकल्प मौजूद रहेगा। अपात्र महिलाओं के पास भी देय किराए पर टिकट खरीदकर दिल्ली परिवहन निगम एवं क्लस्टर बसों (एसी तथा नॉन-एसी दोनों) में यात्रा करने का विकल्प मौजूद रहेगा।

उपर्युक्त उपबंध दिल्ली के निवासी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर भी लागू होंगे।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

विश्वेन्द्र, विशेष आयुक्त

पाद-टिप्पणी:- मूल नियम दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या Adml-7(42)/85 दिनांक 19-11-1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसके पश्चात् अधिसूचना संख्या F.018/Cluster/Tpt/2019/755/76919 दिनांक 28-10-2019 के द्वारा संशोधित किया गया था तथा तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या न. DTC-ADMN/2/2026-ADMN-DELHI TRANSPORT CORPORATION/E-File: 386799/42417 दिनांक अक्टूबर 2026 के द्वारा पुनः संशोधित किया गया।

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 3rd October, 2026

DELHI TRANSPORT CORPORATION (FREE AND CONCESSIONAL PASSES) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2026.

F. No. Tr/PinkPass/1033/E-File:389756/42434.— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 45 read with clause (d) of sub-section (1) of section 19 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), read with the Delhi Road Transport Laws (Amendment) Act, 1971, the Delhi Transport Corporation, with the previous sanction of the appropriate Government, hereby makes the following regulations further to amend the Delhi Transport Corporation (Free and Concessional Passes) Regulations, 1985, (Amendment, 2019), namely :-

1. Short title and commencement-

- (1) These regulations may be called the Delhi Transport Corporation (Free and Concessional Passes) (Second Amendment) Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulation 3:- In the Delhi Transport Corporation (Free and Concessional Passes) Regulations, 1985 (Amendment, 2019), in regulation 3, clause (vii) stand deleted, and after clause (viii) the following clause shall be inserted, namely:-

"(ix) Female passengers who are resident of Delhi to travel free in DTC & Cluster buses (Both AC and Non-AC) only with the use of Pink Saheli Smart Card (NCCMC). However, they will have the option to purchase ticket at the applicable fare for the journey. Ineligible women also have the option to avail travel facility in DTC and Cluster buses (Both AC and Non-AC) by purchasing tickets at the applicable fare.

The above provisions shall also apply to the transgender persons who are residents of Delhi."

By Order and in The Name of Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

VISHWENDRA, Special Commissioner

Footnote:- The principal notification was published in the Gazette of Delhi, extra ordinary, Part-II, Section 3, Subsection (ii) vide No.AdmI-7(42)/85 dated 19.11.1985 and subsequently amended vide Notification No.F.018/Cluster/Tpt/2019/755/76919 dated 28.10.2019 and thereafter amended vide Notification No.DTC-ADMN/2/2026-ADMN-DELHI TRANSPORT CORPORATION/ E-File: 386799/42417dated October 2026.